

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013
Secretary, Housing (S021)

आवंटन पत्र संख्या - 15awas12
अनुदान संख्या - 013

अनोटमेंट आई डी - S1206131571
आवंटन पत्र दिनांक - 28-Jun-2012

HOD Name - Secretary Housing (2881)

- 1: लेखा शीर्षक - 2217 - शहरी विकास
001 - निवेशन तथा प्रशासन
00 - विहित अधिकारियों का अधि
- 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नग
07 - विहित अधिकारियों का अधि

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2167000	5733000	7900000
03 - महंगाई भत्ता	1473000	4027000	5500000
04 - यात्रा व्यय	23000	72000	95000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10000	50000	60000
06 - अन्य भत्ते	227000	573000	800000
07 - मासिक	1000	0	1000
08 - कार्यालय व्यय	40000	100000	140000
11 - वेतन सामग्री और फार्मों की	30000	80000	110000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20000	60000	80000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण आदि	17000	63000	80000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिगृहि	50000	100000	150000
45 - भवकाश यात्रा व्यय	0	40000	40000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	33000	67000	100000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/गिस्सम्बन्ध	25000	65000	90000
	4116000	11030000	15146000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

11030000

जयिमा सैकली
उप सचिव
वेतन एवं आवास
प्रशासनिक शाखा

प्रेषक,
एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।


आवास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 18 मई, 2012.

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0 13 लेखाशीर्षक-2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये 04 माह के लेखानुदान में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में कम्प्यूटर आई.डी संख्या-S1204130497 द्वारा जारी रू0 21,67,000-00(रुपये इक्कीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-


7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0-8 एव बी0एम0-13 पर हर माह की 05 तारीख तक आवास विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. व्यय करते समय वित्त हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित प्रचलित वित्तीय नियमों एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
11. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।


18/5

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217 -शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-001-निर्देशन तथा प्रशासन-07-विहित अधिकारियों के अधिष्ठान (अनु सं० 06 से स्थानान्तरित) के अन्तर्गत पृष्ठ-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(एस० अर्जुन)
प्रमुख सचिव।

संख्या _____ (1)/V-2011- 12 (आ०)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-1/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(गरिमा रैंकली)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013
Secretary, Housing (S021)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 013

अनोटमेंट आई की - S1204130497
आवंटन पत्र दिनांक - 19-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2217 - शहरी विकास
001 - निदेशन तथा प्रशासन
00 - विहित अधिकारियों का अति

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के त
07 - विहित अधिकारियों का अति

HOD Name - Secretary Housing (2881)

Non Plan Voted

आवक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	2167000	2167000
	0	2167000	2167000

प्रेषक,
एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 2 अप्रैल, 2012.

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विहित अधिकारियों के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0 13 लेखाशीर्षक-2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये 04 माह के लेखानुदान में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में कम्प्यूटर आई.डी. संख्या-S1204130494 द्वारा जारी रू0 19,49,000-00 (रूपये उन्नास लाख उन्पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0-8 एव बी0एम0-13 पर हर माह की 05 तारीख तक आवास विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरित्का के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- व्यय करते समय वित्त हस्त पुरित्का, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित प्रचलित वित्तीय नियमों एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

857
8
3-5-12
नगर
10/4/12

6. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217 -शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- 001-निर्देशन तथा प्रशासन -07-विहित अधिकारियों के अधिष्ठान (अनु० सं० 06 से स्थानान्तरित) के अन्तर्गत पृष्ठ-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(एस०राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/V-2011-12 (आ०)/2011.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. जिलाधिकारी, देहरादून।
10. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-1/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(गरिमा रौकली)
उप सचिव।